न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 72/2026

1. विक्रम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी धतरवालो का बास तन ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

—— आवेदक

बनाम

1. डॉ. नरेश सोनी पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2. फुली पुत्री सरदारा जाति जाट निवासी धतरवालो का बास तन ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3. मुन्नी पुत्री सरदारा जाति जाट निवासी धतरवालो का बास तन ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
4. माया कोर पुत्री सरदारा जाति जाट निवासी धतरवालो का बास तन ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5. सहदेवी पुत्र सरदारा जाति जाट निवासी धतरवालो का बास तन ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

—— अनावेदकगण

– – –

मुंतकिली प्रार्थना पत्र अ.धारा 235 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 उनवानी प्रकरण विक्रम सिंह बनाम फुली वगैरह मु.न. 194/2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 05.03.2026

– – –

उपस्थितः–

1. श्री विनोद कुमार गिल – अभिभाषक – आवेदक की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक – अनावेदक संख्या 1 व 6 की ओर से।
3. श्री विनोद कुमार डांगी – अभिभाषक – अनावेदक संख्या 4 की ओर से।

आदेश

दिनांक 13.03.2026

उक्त विषयक प्रार्थना पत्र आवेदक ने विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के बाबत किये जाने स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 194/2025 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने एक दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अदालत मातहत के समक्ष पेश किया उक्त दावा भूमि हाल खसरा नम्बर 243 रकबा .4050 हैक्टर वाके ग्राम धतरवालों का बास पटवार हल्का ओजटु तहसील चिड़ावा के बाबत किया गया। उक्त दावा दिनांक 15.09.2025 को पेश किया उसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 14.10.2025 नियत की गई। उक्त दिनांक को प्रतिवादी नम्बर 4 का अधिवक्ता उपस्थित हुआ। दिनांक 14.10.2025 के बाद आगामी पेशी दिनांक 21.11.2025 नियत की गई। दिनांक 21.11.2025 को प्रतिवादी नम्बर 4 के अधिवक्ता ने कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया। उसके बाद आगामी पेशी दिनांक 16.12.2025 नियत की गई। दिनांक 16.12.2025 को प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 की तामील रसीदे पेश की गई तथा पत्रावली वास्ते जबाब दिनांक 28.12.2025 नियत की गई। दिनांक 28.12.2025 व 06.01.

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

2026 की तारीख आदेशिका पर मुहर लगाकर दी गई। दिनांक 29.01.2026 को प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नम्बर 4 के अधिवक्ता ने जबाब प्रस्तुत नहीं किया तथा एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया। दिनांक 29.01.2026 को अनावेदक नम्बर 1 पीठासीन अधिकारी ने कोर्ट में ही कहा कि इस मुकदमा का विभाजन नहीं करेगा तथा प्रतिवादी नम्बर 4 के अधिवक्ता ने भी कहा कि उपखण्ड अधिकारी साहब ने हमें इस बात के लिये आश्वस्त कर दिया है कि वो इस भूमि का विभाजन नहीं करेगा तथा न्यायालय में ही अनावेदक नम्बर 1 ने कहा कि मै उक्त प्रकरण का विभाजन नहीं करूंगा। तब प्रतिवादी नम्बर 4 ने भी एलानियां धमकी दी कि उक्त भूमि का विभाजन नहीं होने देगा हमारी उपखण्ड अधिकारी से बात हो गई है। प्रतिवादी नम्बर 1 राजनैतिक अपरोच वाला व्यक्ति है। राजनेताओं के सम्पर्क में है। आवेदक को उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि न्याय न केवल होना चाहिऐ बल्कि होते हुये दिखना भी चाहिए। लेकिन अदालत मातहत बड़े राजनैतिक नेताओं के प्रभाव से न्याय नहीं कर पा रहा है। आवेदक को अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा से न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है। प्रकरण भूमि के विभाजन से सम्बन्धित है जो आवेदक का अधिकार है तथा विभाजन करवाना पक्षकार का सम्पेतिक अधिकार है ऐसी सुरत में प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि श्रीमान जी उक्त प्रकरण को स्वयं सुने या जिले के किसी भी निष्पक्ष व सक्षम अधिकारी के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाने का आदेश फरमावें जिससे आवेदक को न्याय मिल सकें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का उक्त प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा से अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने दिनांक 16.02.2026 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार करते हुये प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरिक करने में अपनी कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। अप्रार्थी संख्या 2 ल 4 बावजूद तामील अनुपस्थित आयें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत के यहां विभाजन का दावा विचाराधीन है। विपक्षी ने अदालत मातहत के यहां 151 की दरख्वास्त पेश की कि भूमि में से नेशनल हाईवे हेतु भूमि आवप्त की जानी है इसलिए भूमि का विभाजन नहीं किया जायेगा। प्रकरण में सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। उक्त प्रार्थना पत्र धारा 151 सुनवाई हेतु विचाराधीन है। अदालत मातहत से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः पत्रावली अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 5 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क दिया कि विवादित भूमि के बीच में से नेशनल हाईवे हेतु भूमि आवाप्त की जानी है। विभाजन का मुकदमा है। इस संबंध में दिनांक 17.10.2025 को अधिसूचना जारी हो चुकी है। विवादित जमीन का एक खसरा नम्बर है। मेरे द्वारा दरख्वास्त लगाई गई है कि चुंकि भूमि आवाप्तिधीन है इसलिए तब्दीली नहीं होगी। दिनांक 08.12.2025 को पत्र जारी कर स्वयं उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार चिड़ावा को लिखा है कि रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं हो। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार तथ्यों पर आधारित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में वकील अनावेदक के कथनों का समर्थन किया तथा निवेदन किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र निराधार व मंनगढत तथ्यों पर आधारित है जो खारीज होने योग्य है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपति नही होना बताया है। प्रार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहां विचाराधीन वाद संख्या 194/2025 उनवानी विक्रमसिंह बनाम फुली वगैरह दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा को अन्य स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। परन्तु प्रकरण में रिकार्ड पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे मुकदमा स्थानान्तरण किये जाने आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।
13.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनूं